



दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

सं./No.P(R)182/P/Vol.VI

प्रधान कार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated:12-09-2014


आर बी ई सं/RBE No. 44 / 2014

पी बी सी सं/ PBC No: 143 / 2014

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs /
DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Wokshops / other Units, etc.,
(As per mailing list -'A')

विषय/Sub: The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 – Submission of
declarations and assets and liabilities by the Railway
Servants .

A copy of Railway Board's letter No.E(D&A) 2014 GS1-2 dated 01-09-2014 (RBE No. 44/2014) alongwith a copy of the Gazette notification G.S.R. No 501(E) dated 14-07-2014 and G.S.R. No. 638(E) dated 08-09-2014 issued by the Department of Personnel and Training on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.


(V.SRINIVASAN)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम
Senior Personnel Officer/Rules
कुते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl.Secy. SRMU
The Genl.Secy. AISCSTREA
The Genl.Secy. AIOBCREA

The Genl.Secy.NFIR



RBE No. 44/2014

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. E(D&A) 2014 GS1-2

New Delhi, 01/09/2014

The General Manager(P)
All Indian Railways and
Production Units etc.
(As per standard list).

**Sub: The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 - Submission of
declarations and assets and liabilities by the Railway Servants**

A copy of the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014, notified by Department of Personnel & Training vide Gazette notification G.S.R. No 501(E) dated 14.07.2014, which are applicable to all Railway servants, is enclosed herewith for information and necessary action.

DA: As above


(S. Modi)
Dy. Director Estt. (D&A)
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आर बी सं 42/2014

सं ई(डी एंड ए) 2014 जी एस 1-2

नयी दिल्ली, दिनांक 01.09.2014

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाईयां,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 - रेल सेवकों द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा

अधिसूचना स. का. नि. 501 (अ) दिनांक 14.07.2014 द्वारा कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणीयां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014, जो कि रेल सेवकों पर लागू हैं, की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नक: यथोक्त

शैलेन्द्र मोदी

(शैलेन्द्र मोदी)

उप. निदेशक स्था. (अनु. एवं अपील)

रेलवे बोर्ड


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 14, 2014/ आषाढ़ 23, 1936

No. 363]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 2014/ASADHA 23, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 501(अ).—केंद्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 59 की उपधारा (2) का खंड (ट) और खंड (ठ) का साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 तथा धारा 45 का साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता हुआ लोक सचकों द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा अंतर्विष्ट करना वाली सूचना और वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना का उपबंध करना का लिए और उन आस्तियों जिन्हें सक्षम प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 45 का अधीन लोक सचक द्वारा ऐसी सूचना दखाना सा छूट दा सका का न्यूनतम मूल्य का उपबंध करना का लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सचक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी दखाना तथा विवरणियाँ फाइल करना में आस्तियों की छूट का लिए सीमाएं) नियम, 2014 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं — इन नियमों में जब तक कि संदर्भ सा अन्यथा अपक्षित न हो, --

(क) "अधिनियम" सा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) अभिप्रेत हैं ;

- (ख) "परिशिष्ट" सॉइन नियमों का परिशिष्ट अभिप्रेत है;
- (ग) "वार्षिक विवरणी" सॉधारा 44 की उपधारा (4) का अधीन लोक सभक द्वारा फाइल की जानावाली वार्षिक विवरणी अभिप्रेत है ;
- (घ) "घोषणा" सॉधारा 44 की उपधारा (1) का अधीन लोक सभक द्वारा की गई आस्तियों और दायित्वों की घोषणा अभिप्रेत है ;
- (ङ) "प्ररूप" सॉपरिशिष्ट - 2 में विनिर्दिष्ट कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;
- (च) "सूचना" सॉधारा 44 की उपधारा (3) का अधीन लोक सभक द्वारा दी जानावाली अपक्षित सूचना अभिप्रेत है ;
- (छ) "धारा" सॉअधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

3. सूचना और वार्षिक विवरणी दख्काकी रीति — (1) प्रत्येक लोक सभक, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) का अधीन अपक्षित सूचना और परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप 1 सॉप्ररूप 4 में धारा 44 की उपधारा (4) का अधीन वार्षिक विवरणी का साथ परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट रूपविधान में धारा 44 की उपधारा (1) का अधीन अपनी आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करखा ।

(2) प्रत्येक लोक सभक, उस वर्ष की 31 जुलाई को या उसका पूर्व धारा 2 की उपधारा (1) का खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष का 31 मार्च को यथाविद्यमान अपनी आस्तियों और दायित्वों का विषय में यथास्थिति, घोषणा, सूचना या विवरणी फाइल करखा :

परंतु वॉलोक सभक जो ऐसॉलोक सभकों को लागू नियमों का उपबंधों का अधीन संपत्ति की घोषणाएं, सूचना और वार्षिक विवरणियां फाइल कर चुका हैं, 15 सितंबर, 2014 को या उसका पूर्व सक्षम प्राधिकारी को 1 अगस्त, 2014 को यथा विद्यमान यथास्थिति, पुनरीक्षित घोषणाएं, सूचना वार्षिक विवरणी फाइल करेंगा।

4. उन आस्तियों का न्यूनतम मूल्य जिन्हें सक्षम प्राधिकारी सूचना दख्कासॉडूट दासकखा -- उन कारणों का लिए जो सक्षम प्राधिकारी किसी आस्ति की बाबत सूचना फाइल करना सॉकिसी लोक सभक को धारा 45 का परंतुक का अनुसार तब डूट दासकखा यदि ऐसी आस्ति का मूल्य लोक सभक का चार मास का मूल वतन या दो लाख रुपया जो भी अधिक हो, सॉअधिक नहीं है ।

परिशिष्ट - 1

[नियम 3(1) दखिर]

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....*को यथाविद्यमान आस्तियों और दायित्वों की विवरणी
(लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 का अधीन)

1. लोक सभक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. (क) वर्तमान में धारित लोक स्थिति(पदनाम, नाम और संगठन का पता)

(ख) किस सचवा सपसंबंधित है (यदि लागू है)

घोषणा --

यह घोषणा करता हूँ कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 का उपबंधों का अधीन, मण्डलद्वारा, प्रस्तुत की जानावाली सूचना की बाबत संलग्न विवरणी अर्थात् प्ररूप 1 सपप्ररूप 4 मण्डलसर्वातम जान और विश्वास का अनुसार सत्य और ठीक है ।

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

*पहली नियुक्ति की दशा में, कृपया नियुक्ति की तारीख उपदर्शित करें ।

टिप्पण 1. इस विवरणी में या तो उसका स्वयं का नाम या किसी अन्य व्यक्ति का नाम लोक सचक की सभी आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी । विवरणी में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(2) में यथाउपबंधित पति या पत्नी और आश्रित बालकों की आस्तियों/दायित्वों की बाबत व्यौरासम्मिलित होंगा।

(धारा 44(2) लोक सचक उस तारीख सपजिसको यह अपना पदग्रहण करनाका लिए शपथ लता है या प्रतिजान करता है, तीस दिन की अवधि का भीतर सक्षम प्राधिकारी को—

(क) उन आस्तियों का संबंध में जिनका वह उसका पति या पत्नी और उसका आश्रित बालक संयुक्तः या पृथकतः स्वामी या फायदाग्राही हैं ;

(ख) अपनाऔर अपनापति या पत्नी और अपनाआश्रित बालकों का दायित्वों का संबंध में,

सूचना दणा ।

टिप्पण 2. यदि कोई लोक सचक, या तो "कर्ता" या किसी सदस्य का रूप में कुटुंब की संपत्तियों में सह समांशी अधिकारों का साथ हिंदू अविभक्त कुटुंब का सदस्य है तो उसपएसपसंपति में अपनाभाग का मूल्य प्ररूप सं. 3 की विवरणी में उपदर्शित करना चाहिए और जहां एसभाग का ठीक मूल्य उपदर्शित करना संभव नहीं है वहां इसका लगभग मूल्य उपदर्शित हो, स्पष्टीकारक टिप्पणियों को जोडा जा सकणा, जहां कहीं आवश्यकता हो ।

टिप्पण 3. "आश्रित बालक" सपएसपुत्र और पुत्रियां अभिप्रप्त हैं जिनका पास उपार्जन का कोई पृथक साधन नहीं है और वाअपनी आजीविका का लिए पूर्णतः लोकसचक पर आश्रित हैं । (नीचा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(3) का स्पष्टीकरण ।

परिशिष्ट - 2

[नियम 3 (1) दखिए]

प्ररूप संख्या 1

लोकसचक, उसका पति या पत्नी और आश्रित बालकों का ब्यौरा

क्रम संख्या	नाम	धारित स्थिति हो	लोक यदि कोई	क्या विवरणी, उसका द्वारा पृथक रूप साफाइल की जाती है
1	स्वयं			
2	पति या पत्नी			
3	आश्रित - 1			
4	आश्रित - 2			
5*	आश्रित - 3			

*और पंक्ति जोड़ें यदि आवश्यक हैं

तारीख

हस्ताक्षर.....

प्ररूप संख्या 2

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथावियमान जंगम संपत्ति का विवरण

स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित बालकों की जंगम संपत्ति का ब्यौरा

क्रम संख्या	वर्णन	रकम रुपय में				
		स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित 1	आश्रित 2	आश्रित 3
(i)	हाथ में नकदी					
(ii)	बैंक खातों में जमा का ब्यौरा (एफ डी आर, निक्षेपों की अवधि, बचत खातों सहित जमा का सभी अन्य प्रकार), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्त कंपनियों	बैंक/वित्त संस्थाओं का नाम और जमा की प्रकृति				

	और सहकारी सोसाइटियों में जमा और प्रत्येक ऐसा जमा में रकम						
(iii)	बंधपत्रों, डिबेंचरों, शहरो में विनिधान का ब्यौरा और कंपनियों/ पारस्परिक निधियों में यूनिट और अन्य	कंपनी का नाम					
(iv)	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान का ब्यौरा और किसी डाकघर या बीमा कंपनी में किसी वित्त लिखतों में विनिधान	विनिधान का नाम					
(v)	भविष्य निधि/नई पेंशन स्कीम में जमा का ब्यौरा	विनिधान का नाम					
(vi)	वैयक्तिक उधार/किसी व्यक्ति को दिया गया अशिम या अस्तित्व जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि सम्मिलित हैं और ऋणियों सह अन्य प्राप्य तथा रकम (जो अधिक है (क) दो मास का मूल यत्न, जहां लागू हैं, (ख) अन्य मामलों में एक लाख रुपय)	ऋणी का नाम					
(vii)	मोटरयानों/वायुयानों/क्रीडा नौकाओं/पोत (निर्माण, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि, क्रय का वर्ष और रकम का ब्यौरा)	यान की प्रकृति, रजिस्ट्रीकरण की संख्या और क्रय का वर्ष					

(viii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(एं) (भार का ब्यौरा दी) ***	सोना					
		चांदी					
		बहुमूल्य रत्न/बहुमूल्य धातु					
		स्वर्ण					
		चांदी					
		बहुमूल्य रत्न/बहुमूल्य धातु					
	बुलियन						
(ix)	कोई अन्य अस्तियां						

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण 1 -- संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करतएहुए संयुक्त नाम में आस्तियों को भी दिया जाना होगा ।

टिप्पण 2 - निक्षेपों/विनिधानों की दशा में, रकम, निक्षेप की तारीख स्कीम, बैंक का नाम/संस्था और शाखा सहित ब्यौराएदिए जाएं ।

टिप्पण 3 -- सूचीबद्ध कंपनियों और गैर सूचीबद्ध फर्मों का मामलामें बहियों की मूल की बाबत स्टाक एक्सचेंज में चालू बाजार मूल्य का अनुसार बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य ।

टिप्पण 4 -- प्रत्येक विनिधान की बाबत रकम में सम्मिलित ब्यौरापृथक रूप सएदिए जाएं ।

टिप्पण 5 -- ऊपर (i) सए(viii) का अंतर्गत नहीं आनएवालाए(ix) का अधीन व्यष्टिक रूप सएदो मास सएअधिक का मूल वजन (जहां लागू हों) या 1.00 लाख रुपयाएसएअधिक मूल्य की जंगम आस्तियों का ब्यौराको उपदर्शित किया जाए ।

प्ररूप सं. 3

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान स्थावर संपत्ति का विवरण

(लोक सचक, उसका पति या पत्नी और आश्रित बालकों द्वारा धारित)

क्रम संख्या	संपत्ति का वर्णन (भूमि/गृह/फ्लैट/दुकान/औद्योगिक आदि)	सुनिश्चित अवस्थिति का सार (जिला, प्रभाग, ताल्लुक और उस ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति अवस्थिति है और इसकी सुभिन्न संख्या आदि)	भूमि का क्षत्र (भूमि और भवनों का मामलों में)	भूमि संपत्ति का मामला में भूमि की प्रकृति	हित का विस्तार	यदि लोक सचक का नाम नहीं है तो किसका नाम धारित है, उल्लेख करें और उसका लोक सचक की नातधारी, यदि कोई	अर्जन की तारीख	कैसे अर्जित की गई (धन्य क्रय, बंधक, पट्टा विरासत, दान या अन्यथा द्वारा है) और उस व्यक्ति/व्यक्तियों का जिनसा अर्जित की गई है (पता और संबंध व्यक्ति/व्यक्तियों का सरकारी सचक सा संबंध, यदि कोई है) कृपया नीचा टिप्पण 1 देखें और अर्जन की लागत	संपत्ति का वर्तमान मूल्य (यदि ठीक मूल्य जाना न हो तो लगभग मूल्य उपदर्शित किया जाए)	संपत्ति का कुल वार्षिक आय	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण -- 1. स्तंभ 9 का प्रयोजन का लिए, पट्टा "पद" सावर्ष दर वर्ष साकिसी एक वर्ष साअधिक अवधि का लिए या वार्षिक किराए का लिए आरक्षित अवधि का लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा अभिप्राप्त होगा तथापि जहां स्थावर संपत्ति का पट्टा किसी ऐसाव्यक्ति साप्राप्य होता है जिसका सरकारी सचक का साथ शासकीय संबंध है, ऐसापट्टाकी अवधि को चाहा यह अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक हो और किराए का संदाय की कालिकता पर ध्यान दिए बिना दर्शाया जाना चाहिए ।

प्ररूप सं. 4

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान ऋणों और अन्य दायित्वाँ का विवरण

क्रम संख्यांक	ऋणी (स्वयं/ पति या पत्नी या आश्रित बालक)	रकम	लघुदार का नाम और पता	उपगत दायित्व की तारीख	संव्यवहार क ब्यौरा	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण 1— उधारों की व्यष्टिक मदेँ जो दो मास का मूल वसुन साँअधिक नहीं हैं (जहां लागू हों) और अन्य मामलों में 1.00 लाख रुपयाँहै, सम्मिलित किया जाना आवश्यक नहीं है ।

टिप्पण 2— विवरण में वाहन का क्रय, गृह निर्माण अग्रिम आदि (वसुन और यात्रा भत्ताका अग्रिमों साँभिन्न), भविष्य निधि साँअग्रिम और उससाँउधार, का लिए अग्रिम जैसाँनियोजक साँउपलब्ध विभिन्न उधारों और अग्रिम (टिप्पण 1 में दिए गए मूल्य साँअधिक) जीवन बीमा पालिसियों तथा सावधि जमाओं पर उधार को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

[फा. सं. 407/12/2014-एवीडी-IV (ख)]

पी. का दास, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2014/भाद्र 17, 1936

No. 466]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2014/BHADRA 17, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितंबर, 2014

सा.का.नि. 638(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 44 और धारा 45 के साथ पठित धारा 59 की उप-धारा (2) के खंड (ट) और खंड (ठ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) संशोधन नियम, 2014 है।
(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 के नियम 3 में, उप-नियम (2) के परंतुक में, "15 सितंबर, 2014 को या उससे पूर्व" शब्दों के स्थान पर "31 दिसंबर, 2014 को या उससे पूर्व" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 407/12/2014-एवीडी-IV(ख)भाग-I]

भास्कर खुलवे, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 501(अ), तारीख 14 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION****New Delhi, the 8th September, 2014**

G.S.R. 638(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (k) and clause (l) of sub-section (2) of Section 59 read with Section 44 and Section 45 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014, namely:

1. (1) These rules may be called the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Amendment Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014, in rule 3, in the proviso to sub-rule (2), for the words "on or before the 15th day of September, 2014", the words "on or before the 31st day of December, 2014" shall be substituted.

[F.No. 407/12/2014-AVD-IV(B) Pt. I]

BHASKAR KHULBE, Addl. Secy

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R. 501(E), dated the 14th July, 2014.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th July, 2014.

G.S.R. 501(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (k) and clause (l) of sub-section (2) of section 59 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), read with section 44 and section 45 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules to provide for furnishing of information and annual return containing declaration of assets and liabilities by public servants and to provide for minimum value of the assets which the competent authority may exempt from furnishing such information by a public servant under section 45 of the said Act, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014);
- (b) "Appendix" means an Appendix to these Rules;
- (c) "annual return" means the annual return to be filed by a public servant under sub-section (4) of section 44;
- (d) "declaration" means the declaration of assets and liabilities made by a public servant under sub-section (1) of section 44;
- (e) "Form" means a Form specified in Appendix-II;
- (f) "information" means the information required to be furnished by a public servant under sub-section (3) of section 44;
- (g) "section" means the section of the Act.

3. Manner of submission of information and annual return.— (1) Every public servant shall make a declaration of his assets and liabilities under sub-section (1) of section 44 in the format specified in Appendix-I, along with the information required under sub-section (2), or as the case may be, sub-section (3), and the annual return under sub-section (4) of section 44 in Forms I to IV specified in Appendix-II.

(2) Every public servant shall file declaration, information or return, as the case may be, regarding his assets and liabilities as on the 31st day of March every year, to the competent authority as referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 2, on or before the 31st day of July of that year:

Provided that the public servants who have filed declarations, information and annual returns of property under the provisions of the rules applicable to such public servants shall file the revised declarations, information or as the case may be, annual returns as on the 1st day of August, 2014, to the competent authority on or before the 15th day of September, 2014.

4. Minimum value of assets which competent authority may exempt from furnishing of information.— The competent authority may, for reasons to be recorded in writing, exempt in accordance with the proviso to section 45, a public servant from filing the information in respect of any asset, if the value of such asset does not exceed four months basic pay of the public servant or rupees two lakhs, whichever is higher.

APPENDIX-I**[Rule 3(1)]**

Return of Assets and Liabilities on First Appointment or as on the 31st March, 20.....*
(Under Sec 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.)

1. Name of the Public servant in full.....
(in block letters)
2. (a) Present public position held
(Designation, name and address
of organisation)
- (b) Service to which belongs
(if applicable)

Declaration:

I hereby declare that the return enclosed namely, Forms I to IV are complete, true and correct to the best of my knowledge and belief, in respect of information due to be furnished by me under the provisions of section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

Date.....

Signature.....

* In case of first appointment please indicate date of appointment.

Note 1. This return shall contain particulars of all assets and liabilities of the public servant either in his/her own name or in the name of any other person. The return should include details in respect of assets/liabilities of spouse and dependent children as provided in Section 44 (2) of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

(Section 44(2):A public servant shall, within a period of thirty days from the date on which he makes and subscribes an oath or affirmation to enter upon his office, furnish to the competent authority the information relating to—

- (a) the assets of which he, his spouse and his dependent children are, jointly or severally, owners or beneficiaries;
- (b) his liabilities and that of his spouse and his dependent children.)

Note 2. If a public servant is a member of Hindu Undivided Family with co-parcenary rights in the properties of the family either as a 'Karta' or as a member, he should indicate in the return in Form No. III the value of his share in such property and where it is not possible to indicate the exact value of such share, its approximate value. Suitable explanatory notes may be added wherever necessary.

Note 3. "dependent children" means sons and daughters who have no separate means of earning and are wholly dependent on the public servant for their livelihood. (Explanation below Section 44(3) of Lokpal and Lokayuktas Act, 2013).

APPENDIX-II
[Rule 3(1)]**FORM No. I**
Details of Public Servant, his/ her spouse and dependent children

SL No.	Name	Public Position held, if any	Whether return being filed by him/her, separately
1	Self		
2	Spouse		
3	Dependent-1		
4	Dependent-2		
5.*	Dependent-3		

* Add more rows, if necessary.

Date.....

Signature.....

FORM No. II**Statement of movable property on first appointment or as on the 31st March, 20...**

Details of the movable assets of self, spouse and dependent children:

Sl. No.	Description	Amount in Rupees				
		Self	Spouse	Dependent 1	Dependent 2	Dependent 3
(i)	Cash in hand					
(ii)	Details of deposit in Bank accounts (FDRs, Term Deposits and all other types of deposits including saving accounts), Deposits with financial Institutions, Non-Banking financial Companies and Cooperative societies and the amount in each such deposit	Name of Bank/ Financial Institutions. & Nature of Deposit				
(iii)	Details of investment in Bonds, debentures / shares and units in companies/mutual funds and others	Name of company				
(iv)	Details of investment in NSS, Postal Saving, Insurance policies and investment in any Financial instruments in Post office or Insurance Company	Nature of investment				

(v)	Detail of deposit in Provident Fund/ New Pension Scheme	Nature of Investment					
(vi)	Personal loans/advance given to any person or entity including firm, company, Trust etc. and other receivables from debtors and the amount (exceeding (a) two months basic pay, where applicable. (b) Rupees one lakh in other cases)	Name of Debtor					
(vii)	Motor Vehicles/Aircrafts/ Yachts/Ships (Details of Make, registration number etc., year of purchase and amount)	Nature of vehicle, registration no. & year of purchase					
(viii)	Jewellery, bullion and valuable thing(s) (give details of weight) JEWELLERY *** Bullion	Gold					
		Silver					
		Precious stones/ precious metals					
		Gold					
		Silver					
		Precious stones/ precious metals					
(ix)	Any other assets						

Date.....

Signature.....

Note 1: Assets in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given.

Note 2 : In case of deposits/investments, the details including Amount, date of deposit, the scheme, Name of the Bank/Institution and Branch are to be given

Note 3: Value of Bonds/Share Debentures as per current market value in Stock exchange in respect of listed companies and books values in case of unlisted firms.

Note 4: Details including amount is to be given separately in respect of each investment.

Note 5: Under (ix) details of movable assets not covered in (i) to (viii) above valuing individually over two months basic pay (where applicable), or Rs. 1.00 lakh may be indicated.

FORM NO. III

Statement of immovable property on first appointment or as on the 31st March, 20...
(e.g. Lands, House, Shops, Other Buildings, etc.)

[Held by Public Servant, his/her spouse and dependent children]

Sl. No.	Description of property (Land/ House/ Flat/ Shop/ Industrial etc.)	Precise location (Name of District, Division Taluk and Village in which the property is situated and also its distinctive number, etc.)	Area of land (in case of land and buildings)	Nature of land in case of landed property	Extent of interest	If not in name of public servant, state in whose name held and his/her relationship, if any to the public servant	Date of acquisition	How acquired (whether by purchase, mortgage, lease, inheritance, gift or otherwise) and name with details of person/persons from whom acquired (address and connection of the Government servant, if any, with the person/persons concerned) (Please see Note 1 below) and cost of acquisition.	Present value of the property (If exact value not known, approx value may be indicated)	Total annual income from the property	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Date.....

Signature.....

Note (1): For purpose of Column 9, the term "lease" would mean a lease of immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immovable property is obtained from a person having official dealings with the Government servant, such a lease should be shown in this Column irrespective of the term of the lease, whether it is short term or long term, and the periodicity of the payment of rent.

FORM No. IV

Statement of Debts and Other Liabilities on first appointment or as on 31st March, 20....

Sl. No.	Debtor (Self/ Spouse or dependent children)	Amount	Name and address of Creditor	Date of incurring Liability	Details of Transaction	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

Date

Signature.....

Note 1: Individual items of loans not exceeding two months basic pay (where applicable) and Rs. 1.00 lakh in other cases need not be included.

Note 2: The statement should also include various loans and advances (exceeding the value in Note 1) available from the employer like advance for purchase of conveyance, house building advance, etc. (other than advances of pay and traveling allowance), advance from the GP Fund and loans on Life Insurance Policies and fixed deposits.

[F. No. 407/12/2014-AVD-IV(B)]

P.K. DAS, Jt. Secy.